**अत्यावश्यक**

**पंचायत उप-निर्वाचन, 2023**

# राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
# STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्र संख्या - पं.नि. 30-11/2023 - 4498

प्रेषक,

मुकेश कुमार सिन्हा,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी-सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)

पटना, दिनांक - 30.12.23

**विषय : पंचायत उप निर्वाचन, 2023 : नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों की सूची प्रपत्र-23 में जिला गजट को प्रकाशित करने एवं उनका शपथ कराये जाने के संबंध में।**

**प्रसंग : आयोग का पत्रांक 4072 दिनांक 04.12.2023 आयोग का पत्रांक 8964 दिनांक 18.12.2021**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि प्रासंगिक पत्रांक 4072 दिनांक 04.12.2023 द्वारा पंचायत उप-निर्वाचन सम्पन्न कराये जाने हेतु पंचायती राज विभाग, बिहार द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 15475 दिनांक 04.12.2023 के आलोक में निर्वाचन सम्पन्न कराये जा रहे हैं। जिसके तहत् दिनांक 28.12.2023 को मतदान तथा दिनांक 30.12.2023 को मतगणना निर्धारित है। दिनांक 30.12.2023 को विधिवत रूप से निर्वाचन परिणाम घोषणा के उपरान्त नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों की सूची प्रपत्र-23 में जिला गजट का प्रकाशनएवं उनको शपथ ग्रहण कराया जाना है।

उक्त सन्दर्भ में आयोग का निदेश है कि –

(क) बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 83 के आलोक में **दिनांक 03.01.2024 तक प्रपत्र-23** में सभी नवनिर्वाचित प्रतिनिधियों की सूची का प्रकाशन **जिला गजट** में किया जाये। जिसे आयोग के वेबसाईट पर लॉग-ईन के माध्यम से पदवार प्रपत्र-23 प्रिन्ट किया जा सकता है।

(ख) उक्त जिला गजट को दिनांक 04.01.2024 तक आयोग के वेबसाईट पर अपलोड करा दी जाय।

(ग) सभी नव निर्वाचित प्रतिनिधियों को बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 की धारा 136(4) एवं बिहार पंचायत निर्वाचन नियमावली, 2006 के नियम 122 के तहत् आयोग के पत्रांक के प्रासंगिक **पत्रांक 8964 दिनांक 18.12.2021** में दिये गये निर्देश के आलोक में **दिनांक 13.01.2024** को **शपथ-ग्रहण** करा दी जाय।

(घ) बिहार पंचायत राज संस्था (कार्य संचालन) नियमावली, 2015 के नियम 6 (ग्राम पंचायत), 16 (पंचायत समिति) एवं 28 (जिला परिषद) के आलोक में शपथ-ग्रहण हेतु सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को शपथ-ग्रहण कराने से सात दिन पूर्व यानि **दिनांक 05.01.2024 तक सूचना देकर तामिला कराना सुनिश्चित की जाय।**



30.12.23

(ङ) नव निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा लिये गये शपथ पत्र को आयोग के वेबसाईट पर अपलोड करा दी जाय।

अनुरोध है कि तदनुसार कार्रवाई की जाय एवं तत्संबंधी निदेश से संबंधित निर्वाची पदाधिकारी एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारी के साथ-साथ सभी संबंधित को अवगत कराने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन,
30/12/23
सचिव।

ज्ञापांक -पं.नि. 30-11/2023 – 4498 पटना, दिनांक – 30.12.23

प्रतिलिपि आई.टी. मैनेजर को आयोग के वेबसाईट पर पत्र अपलोड कराये जाने हेतु प्रेषित।

30/12/23
सचिव।

ज्ञापांक -पं.नि. 30-11/2023 – 4498 पटना, दिनांक – 30.12.23

प्रतिलिपि सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

30/12/23
सचिव।

ज्ञापांक -पं.नि. 30-11/2023 – 4498 पटना, दिनांक – 30.12.23

प्रतिलिपि अपर मुख्य सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

30/12/23
सचिव।